भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2320
07 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

केरल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं

2320. श्री हारिस बीरानः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल में उन सरकारी और निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक प्रयोगशाला को कितनी सहायता अनुदान राशि संवितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में निर्यातोन्मुखी समुद्री और मसाला उत्पादों के परीक्षण संबंधी अवसंरचना की कोई कमी चिह्नित की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि राज्य में सहायता प्राप्त सभी प्रयोगशालाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) का प्रत्यायन और भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की अधिसूचना प्राप्त कर लें?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) मांग-संचालित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) घटक को लागू करता है, जो सीधे खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के बजाय उनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 30 जून 2026 तक, केरल में सात परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है और उन्हें पूरा किया जा चुका है।

हालाँकि अधिकांश निर्यात-उन्मुख समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ रासायनिक और सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण के लिए इन-हाउस प्रयोगशालाएँ बनाए रखती हैं, फिर भी एर्नाकुलम में एम्पेडा का मुख्यालय निर्यात निरीक्षण परिषद, एफएसएसएआई और एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त एक अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करता है। यह प्रयोगशाला पूर्व-निर्यात परीक्षण और राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रमों - राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी) और राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशकों की निगरानी (एमपीआरआरएनएल) - दोनों की सहायता करती है, हालांकि समुद्री खाद्य निर्यातकों द्वारा इसकी पूर्ण क्षमता से कम उपयोग किया जाता है।

एफएसक्यूएआई योजना के अंतर्गत एनएबीएल मान्यता अनिवार्य है। यह योजना पंजीकरण शुल्क का 100% वापस करती है और सटीकता, पता लगाने की क्षमता, पारदर्शिता और एनएबीएल अनुपालन का समर्थन करने के लिए प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय द्वारा केरल में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण, प्रयोगशालाओं को जारी की गई अनुदान - सहायता और सहायता प्राप्त प्रयोगशालाओं की वर्तमान एनएबीएल मान्यता/एफएसएसएआई अधिसूचना की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2026 को "केरल में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं", के संबंध में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 2320 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली सरकारी और निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का परियोजना-वार विवरण, साथ ही उन्हें जारी अनुदान सहायता और उनकी वर्तमान एनएबीएल मान्यता/एफएसएसएआई अधिसूचना की स्थिति।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ज़िला	क्षेत्र	पूर्ण होने की तारीख़	अनुदान सहायता (लाख रुपये में)	स्थिति
1.	खाद्य अनुसंधान एवं विकास परिषद (सीएफआरडी), कोच्चि	पथानामथिट्टा	स्वायत्त	28.03.2012	484.40	एनएबीएल से मान्यता प्राप्त और एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित
2.	इंटरफील्ड प्रयोगशालाएं	कोच्चि	निजी	13.11.2014	238.00	एनएबीएल के एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त
3.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)	कोच्चि	स्वायत्त	01.11.2021	76.3	एनएबीएल के एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त
4.	जियोकेम लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड	अरूर	निजी	28.02.2023	53.92	एनएबीएल के एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त
5.	सीआईएफटी कोचीन	कोच्चि	स्वायत्त	09.03.2024	780.83	एनएबीएल के एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त
6.	सीएसआईआर-एनआईआईएसटी	तिरुवनंतपुरम	स्वायत्त	26.03.2024	353.02	एनएबीएल के एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त
7.	इंटरफील्ड प्रयोगशालाएं	कोच्चि	निजी	21.02.2025	433.47	एनएबीएल के एकीकृत मूल्यांकन के अंतर्गत एफएसएसएआई मान्यता प्राप्त
